



सत्यमेव जयते



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

4 अग्रहायण, 1946 (श०)

संख्या - 749 राँची, सोमवार, 25 नवम्बर, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

आदेश

23 अक्टूबर, 2024

आदेश सं०-5/आरोप-1-121/2018 का०-7028--अनुमंडल पदाधिकारी, मधुपुर के पत्रांक 544/सा०, दिनांक 27.08.2018 द्वारा प्रतिवेदित है कि कार्यालय में संधारित जाति प्रमाण के निर्गत पंजी के जाँच के क्रम में ज्ञात हुआ कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, करौं, देवघर द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र संख्या-00002/14, दिनांक 19.02.14 के आधार पर अनुमंडल कार्यालय के क्रमांक-366/14, दिनांक 18.03.14 द्वारा रतन शर्मा, पिता जयनारायण मड़ैया, ग्राम+पोस्ट-पथरौल, जिला-देवघर के नाम से जाति कुमार अनुसूची-II का प्रमाण पत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, तत्कालीन कार्यपालक दण्डाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत किया गया है। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक-12817, दिनांक 17.11.2012 द्वारा निर्गत अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-I) के क्रमांक-120 पर कुमार जाति को अनुसूची-II में रखा गया है ।

उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक-8755, दिनांक 03.12.2018 एवं स्मार पत्रों द्वारा उपायुक्त, देवघर से श्री रतन शर्मा को गलत जाति प्रमाण पत्र निर्गत वाले तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, करौं एवं श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, तत्कालीन कार्यपालक दण्डाधिकारी, मधुपुर के विरुद्ध प्रपत्र 'क' में आरोप पत्र की माँग की गई। उपायुक्त, देवघर के पत्रांक-500/स्था०, दिनांक 18.09.2024 एवं पत्रांक-504/स्था०, दिनांक 19.09.2024 द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, मधुपुर द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराई गई। उक्त जाँच प्रतिवेदन में कार्यालय लिपिक मो० युसुफ को दोषी पाया गया एवं अंकित किया गया कि कार्यालय लिपिक मो० युसुफ के द्वारा किसी षडयंत्र के द्वारा गलत प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। इनकी लापरवाही के कारण ही गलत प्रमाण पत्र निर्गत किया गया प्रतीत होता है।

उपायुक्त, देवघर से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं मामले की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, तत्कालीन कार्यपालक दण्डाधिकारी, मधुपुर एवं तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, करौं पर आरोप परिलक्षित नहीं होता है।

अतः समीक्षोपरांत, श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, तत्कालीन कार्यपालक दण्डाधिकारी, मधुपुर एवं तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, करौं से संबंधित इस मामले को संचिकास्त किया जाता है।

अनल प्रतीक मिंज,
सरकार के उप सचिव।
